38–(08)–07–2014

पटना में दिनांक–24 जून, 2014 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	खान एवं भूतत्व विभाग		
1.	बिहार खान एवं भूतत्व आशुटंकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014	1.	स्वीकृत।
	खान एवं भूतत्व विभाग		
2.	बिहार खान एवं भूतत्व लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014	2.	स्वीकृत।
	गन्ना उद्योग विभाग		
3.	राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ग्रीष्मकालीन माहों में गन्ना की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान कार्यक्रम के लिए कुल 10.00 (दस करोड़) करोड़ रूपये की योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग		
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के अधीन 'बिहार राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014' की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग		
5.	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के अधीन 'बिहार राजभाषा प्रकाशन संवर्ग नियमावली, 2014' की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
6.	कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा अंचल के मौजा–बजरकोना, थाना नं०–654, खाता सं०–69, खेसरा सं०–227, रकबा–0.03 एकड़ (तीन डी०) अनाबाद सर्वसाधारण भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु श्रीमती गिरिजा देवी पति श्री राजवंश पासवान, ग्राम–बजरकोना, थाना–कुदरा, जिला–कैमूर, जो अनुसूचित जाति अन्तर्गत गरीब भूमिहीन हैं, के साथ 20 रू० (बीस रूपया) प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर स्थायी बन्दोबस्ती के संबंध में।	6.	स्वीकृत।
	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग		
7.	राज्यपाल सचिवालय, बिहार में विशेष कार्य पदाधिकारी का चार (04) अस्थायी पद सृजन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

8. बिहार नियोजन सेवा के अन्तर्गत नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी वेतनमान् रू० 9300–34800/–ग्रेड पे रू० 4800 के पद से सहायक निदेशक वेतनमान् 15600–39100/–ग्रेड पे–रू० 6600/–के पद पर नियमित प्रोन्नति का प्रस्ताव। — **8.** स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा एवं सुधार सेवाएँ)

9. बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **9.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के लिए गैर योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थापना मद में कुल रू० 1,30,00,000/–(एक करोड़ तीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **10.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैरयोजनान्तर्गत मद से पेंशनादि/बकाया अंतर राशि का भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 5,90,000/–(पाँच लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति। — **11.** स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. बिहार सरकार द्वारा गठित एवं संचालित अकादमियों के गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु मानदेय की स्वीकृति। — **12.** स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

13. बिहार राज्य योजना पर्षद के स्वतंत्र कार्य निष्पादनार्थ सचिव पद के सृजन के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

14. बिहार राज्य योजना पर्षद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के निमित्त आप्त सचिव (बिहार प्रशासनिक सेवा स्तर) का पी०बी०–2+ग्रेड वेतन 5400/–में सात पदों के सृजन के संबंध में। — **14.** स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

15. सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 के गठन हेतु नियमावली प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाईट सिस्टम के अधिष्ठापन संबंधित ₹2606.74 लाख की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

17. श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद मुजफ्फरपुर को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

18. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

19. श्री मोहन कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, जयनगर (मधुबनी) को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

20. श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त को रिश्वत लेने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–139 के तहत् शतप्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से अवरूद्ध करने की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

21. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 602.87 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं वर्त्तमान में 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने तथा शेष राशि पूर्ण बजट पारित होने के पश्चात् उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

22. सरकारी भवनों में विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु ऊर्जा विभाग के कार्य प्रमंडलों तथा अधीनस्थ पदों का भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरण/समायोजन। — 22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. बक्सर जिलान्तर्गत चौसा अंचल के मौजा–मोहनपुरवा थाना नं०–43, खाता सं०–113, 114 एवं 116 के विभिन्न खेसरा का कुल रकबा–1.70 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म धनहर भूमि (अनुलग्नक–I) विद्युत तापगृह चौसा के निर्माण हेतु 4300 रूपया प्रति डिसमिल के दर से 7,31,000 रूपया सलामी एवं सलामी का 5% व्यावसायिक लगान अर्थात 36,550 रूपया का 25 गुणा अर्थात् 9,13,750 रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–16,44,750/–रूपये (सोलह लाख चवालीस हजार सात सौ पचास) रूपया के भुगतान पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को हस्तान्तरण के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा–हेमारा, थाना सं०–184, खाता सं०–665, खेसरा नं०–832, रकबा–6.00 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण परती भूमि 54,40,800 (चौवन लाख चालीस हजार आठ सौ) रूपया सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक वार्षिक लगान का 25 गुणा अर्थात् 68,01,000 (अड़सठ लाख एक हजार) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 1,22,41,800 (एक करोड़ बाईस लाख एकतालिस हजार आठ सौ) रूपया के भुगतान पर बिहार ग्रिड कम्पनी लि०, पटना को 220/132/33 के०भी० गैर ईनसुलेटेड ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु स्थायी हस्तान्तरण। — 24. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

25.	गृह विभाग के अन्तर्गत विधि कोषांग के लिये बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के जिला अभियोजन पदाधिकारी का –1 (एक), अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी का –1 (एक) तथा सहायक अभियेाजन पदाधिकारी का –2 (दो), कुल–4 पदों के सृजन के संबंध में।	25. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

26.	महानिदेशक–सह–कार्यपालक निदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाईटी के पदनाम में परिवर्त्तन एवं पदधारण अवधि के निर्धारण के संबंध में।	26. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

27.	श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास (सासाराम) सम्प्रति निलंबित को उनके गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक–03.01.2012 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के दण्ड देने के संबंध में।	27. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

28.	मुख्य सचिव के वेतनमान में सरकार के सूचना प्रावैधिकी सलाहकार के पद के सृजन के संबंध में।	28. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

29.	मकई भंडारण हेतु साइलो (silo) की स्थापना को खाद्य प्रसंस्करण इकाई के रूप में मान्यता देने एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू० 2500.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव।	29. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

30.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की योजना को अनुमानित राशि रू० 35 (पैंतीस) करोड़ की सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।	30. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

31.	सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) के अन्तर्गत राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालयों/नेत्रहीन मध्य एवं उच्च विद्यालयों के आवासीय छात्र/छात्राओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं यथा–भोजन, वस्त्र, दवा, पठन–पाठन सामग्री इत्यादि तथा विद्यालय एवं छात्रावास की साफ–सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियाँ तथा आदेशपाल/सुरक्षा गार्ड/चौकीदार एवं रसोईया के पारिश्रमिक दर में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति।	31. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

32. बिहार महादलित विकास येजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत शेष 25679 वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए 20000 रू० के बजाय M.V.R के आधार पर प्रति तीन डिसमल प्रति परिवार की दर से रैयती भूमि क्रय करके उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि मे से बची हुई राशि कुल 8.752 करोड़ रू० एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उपबंधित राशि 19.6148 करोड़ अर्थात् कुल 28.3668 करोड़ की व्यय की स्वीकृति तथा 2013–14 के उपरान्त अगले दो वर्षो 2014–15 एवं 2015–16 तक के अवधि विस्तार की स्वीकृति। — 32. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

33. डा० विनोद कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद को सेवा से बर्खास्त करने हेतु प्रस्ताव। — 33. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

34. उद्यान महाविद्यालय, नालंदा के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2014–15 में 858.37 लाख रूपये (आठ करोड़ अठ्ठावन लाख सैतीस हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 34. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

35. खरीफ 2014 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014–15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रूपये, कुल 785.24 करोड़ रूपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति। — 35. **स्वीकृत।**